Member is interested in knowing what is the target fixed by the Planning Commission, I can give them.

SHRI R. P. YADAV: Sir, it is not a satisfactory answer. Sir, are you satisfied with this answer?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कह सकता हूं ।

SHRI R. P. YADAV: According to the norms laid down by you, the post offices are not opened and you are giving extra powers to the officers to open post offices.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Generally, wherever the norms are satisfied, post offices are opened. There can be hardly one or two cases where it might not have been possible due to lack of resources.

श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री : मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकिल अध्यक्षों को निर्धारित मानदंडों में छूट देकर डाकघर खोलने अथवा विभागेतर डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय डाकघर बनाने के लिये शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं, और उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मानदण्डों में ढील देकर और शहरी क्षेत्रों में दूरी के मापदंड में ढील देकर पोस्ट आफिस खोलने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 1981–82 में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर निर्धारित मानदण्डों में ढील देकर खोले गये हैं ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In 1980-81, the total number of post offices opened is 1889, in 1981-82 it is 1601 and we envisage to open nearly 1000 post offices in 1982-83.

श्रमिक विवादों का निपटान

*233. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक विवादों के शीघ्र निपटान की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) to (c). The Industrial Disputes (Amendment) Act, 1982 provides for time limits for disposal of references under Section 10 of the Industrial Disputes Act and applications under Section 33(C) by Labour Courts and Tribunals. The question of bringing into force the Amendment Act is under consideration.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA: Is it not a fact that the Labour Courts and Tribunals have not been disposing of the cases within the time limit. What special steps are proposed to be taken to expedite the disposal of these cases?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): It is true that the cases before the Industrial Tribunals and Labour Courts are taking a long time, and they are not being disposed of expediously. That is why the Industrial Disputes Act has been amended during the last session and in the amended Act it has been said that so far as the disputes before the Labour Courts and the Industrial Tribunals are concerned, Government

while referring these disputes to them will specify the period; in the case of individual workmen, I think, the period would not exceed three months, and in the case of individual applications also, we have said that the Government is going to specify that the period will not be more than three months. We are going to specify the period in order to ensure that disputes are disposed of as expeditiously as possible.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA: If these cases are not disposed of within this time, am I to understand that the cases would be deemed to have been decided in favour of the workers?

SHRI VEERENDRA PATIL: When the cases are before the Industrial Tribunal and the Labour Court, it is for them to decide the case as they deem it fit. I cannot say in whose case it is going to be decided.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA: If these cases are not going to be disposed of within the stipulated period, the labour suffer. They cannot afford to go on with protracted litigation.

SHRI SUDHIR GIRI: There are reports that a huge number of lay-offs, lock-outs and closures have taken place in various parts of the country. I would like to know what remedial measures have been taken by the Governments in such cases?

SHRI VEERENDRA PATIL: All this procedure is laid down in the Industrial Disputes Act, If I remember correctly, so far as the lay_offs and closures are concerned, according to the amendment that has been passed in the last session they have to seek the permission of the Government; without that they cannot declare closure.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, क्या यह सच है कि विभिन्न कोर्टस में और विभिन्न सरकारी अधिकारियों के पास बड़ी संख्या में श्रम विवाद लम्बित पड़े हुए हैं। यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो केसेज इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के पास केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं, मेरे पास उनकी जानकारी है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट, धनबाद, नम्बर एक—120 केसेज और 6 एप्लीकेशन्स, सैन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, धनबाद, नम्बर टू—150 केसेज और 25 एप्लीकेशन्स, सैन्ट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट नम्बर 3, धनबाद—165 केसेज और 126 एप्लीकेशन्स। इसी तरह सैन्ट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट, बौम्बे 66 केसेज . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो काफी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, आप इन्हें एक कापी भेज दीजिए . . . .

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अगर आप चाहें तो मैं उसकी एक कापी भेजने के लिए तैयार हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : हां, भेज दीजिए . .

श्री रामावतार शास्त्री: और यह भी बता दें कि कितने दिनों से लम्बित पड़े हैं और सबसे पुराना केस कौन सा है और कितने दिनों से लम्बित है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विवाद नियमों में संशोधन के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि महिला श्रमिकों को भी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसे आदेश दिए गए थे। लेकिन क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि आज

भी महिला श्रमिकों को समान काम के बदले समान वेतन आज तक नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि किन-किन प्रान्तों में अभी तक मान्य नहीं हुआ है और उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्या को ऐसी कोई जानकारी हो कि कहीं महिला श्रमिकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है तो वे मुझे लिख कर दें तो मैं उनको जानकारी दे सकता हूं।

PROF. N. G. RANGA: I would like to know, since the Act was amended, if the number of these courts and tribunals has been increased, and whether the Government have decided to locate these courts in such important industrial centres as Vishakhapatnam, Hyderabad and so on.

SHRI VEERENDRA PATIL: We have been time and again impressing upon the State Governments, keeping in view the large number of disputes that are pending before the Labour Courts and the Industrial Tribunals to have more tribunals. Similarly, at our level we are also trying to see if more Tribunals can be appointed.

ग्वालियर, मोरैना को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली/भोपाल से जोड़ना

*234. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मोरैना को एस० टी० डी० सुविधा द्वारा दिल्ली और भोपाल से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) (i) STD facility between Gwalior and Delhi is alreday existing.

(ii) STD facility between Gwalior and Bhopal is expected to be commissioned during this year.

(iii) STD facility from Morena to Bhopal and Delhi is expected to be provided towards the end of the current Plan period.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के कौन-कौन से स्थानों में आप एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करके दिल्ली और भोपाल को कनैक्ट करने जा रहे हैं। क्या खजुराहो जैसे स्थान को भी, दिल्ली और भोपाल से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने का सरकार विचार रखती है, क्योंकि खजुराहो पर्यटन की दृष्टि से विश्व-विख्यात स्थल है। यदि कोई योजना है तो कब तक उसको जोड़ दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इट इज ए स्माल प्लेस.....

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश में और कौन-कौन से स्थानों को आप एस० टी० डी० के जरिए दिल्ली और भोपाल से जोड़ने जा रहे हैं....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): It is a very small exchange. There is a long list of exchanges: if you want I can read them. For this question, I require a notice.